[2021] 8 एस. सी. आर 657

भारत और अन्य का संघ

वी.

मेथु मेडा

(2021 की सिविल अपील संख्या 6238)

06 अक्टूबर, 2021

[इंदिरा बनर्जी और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

सेवा कानून-नियुक्ति-आपराधिक मामले से बरी होना -

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सिपाही के पद के लिए आवेदन करने वाले प्रतिवादी की प्रकृति-प्रभाव-अनंतिम रूप से चयनित-उसके खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण के आपराधिक मामले के कारण नियुक्ति के लिए पात्र नहीं पाया गया, हालांकि बरी कर दिया गया-आयोजितः यदि किसी व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए, नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के आरोप से या गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने के कारण, वर्तमान मामले की तरह, बरी कर दिया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से उसे रोजगार के लिए हकदार नहीं बनाएगा, वह भी अनुशासित बल में-केवल कथित अपराधों का खुलासा और मुकदमे का परिणाम पर्याप्त नहीं है-नियोक्ता को उम्मीदवार को नियुक्ति देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है-एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ द्वारा पारित विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ-'सम्मानजनक बरी'-का अर्थ

- - चर्चा की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अभिव्यक्तियाँ 'सम्मानजनक बरी',

' दोषमुक्त 'और' पूरी तरह से बरी 'दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं। यह हो चुका है न्यायिक घोषणाओं द्वारा विकसित। यदि न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने का निर्देश गलत निहितार्थ के निष्कर्ष के साथ अभिलेख पर तथ्यों और भौतिक साक्ष्य पर विचार करने या इस निष्कर्ष पर दिया जाता है कि अपराध साबित नहीं हुआ था, तो अभियुक्त के स्पष्टीकरण को न्यायसंगत स्वीकार करते हुए, इसे सम्मानजनक दोषमुक्त माना जाएगा। यदि अभियोजन पक्ष अन्य कारणों से अपराध साबित नहीं कर सका और न्यायालय द्वारा 'सम्मानपूर्वक' बरी नहीं किया गया, तो इसे 'सम्माननीय' के अलावा अन्य माना जाएगा, और

कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। संदेह का लाभ देते हुए बरी होने से उम्मीदवार की स्वतः बहाली नहीं होगी जब तक कि नियम ऐसा प्रदान करते हैं। [पारस 11,13 और 14] [663-सी-डी-; 664-ए-बी, डी-ई]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुलिस महानिरीक्षक और एक अन्य बनाम समुथिरम

(2013) 1 एससीसी 598: [2012] 11 एससीआर 174; असम राज्य और एक अन्य बनाम राघव राजगोपालाचारी (1972) 7 एसएलआर

44 ; आर पी कपूर बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 787: [1964] एस. सी. आर. 431; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम भोपाल सिंह पांचाल (1994) 1 एस. सी. सी. 541: [1993] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 586 पर भरोसा किया। -

1.2 यदि बरी होना सम्मानजनक नहीं है, तो उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं हैं और उनसे बचा जाना चाहिए। द.

प्रासंगिक कारक और अपराध की प्रकृति, उसकी संलिप्तता की सीमा, भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति, जांच समिति द्वारा विचार के लिए प्रासंगिक पहलू हैं, जो इन सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी के खिलाफ आईपीसी की धारा 347/327/323/506 (भाग-II) और 364 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे। सत्र न्यायाधीश, झाबुआ द्वारा मुकदमे के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था क्योंकि व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था और उनकी पत्नी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया था। के अनुसार

अभियोजन पक्ष, शिकायतकर्ता को प्रतिवादी द्वारा पीटा गया था और

उक्त तथ्य को डॉक्टर के साक्ष्य से समर्थन मिला। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि समिति का विचार था कि

वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रत्यर्थी को 'सम्मानजनक दोषमुक्ति' नहीं कहा जा सकता है और उक्त दोषमुक्ति को संदेह का लाभ देकर माना जा सकता है। नियोक्ता को सरकारी आदेशों के अनुसार उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार करने का अधिकार है / रोजगार में उम्मीदवार को शामिल करने का निर्णय लेते समय निर्देश/नियम। जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराधों के संबंध में तकनीकी आधार पर बरी होना, जो कि एक स्पष्ट बरी नहीं है, नियोक्ता को पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने का अधिकार हो सकता है, और

कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय। यहां तक कि यदि कर्मचारी द्वारा पूर्ण परीक्षण के संबंध में सच्ची घोषणा की गई है, तो भी नियोक्ता को पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है और उसे उम्मीदवार नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। [पैरा 15,16 और 18] [664-जी-एच; 665-ए-सी; 667-सी-ई]

नई दिल्ली और एक अन्य बनाम मेहर सिंह (2013) 7 एससीसी 685: [2013] 13 एस. सी. आर. 432; केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य। बनाम प्रदीप कुमार और अन्न। (2018) 1 एससीसी 797: [2018] 1 एस. सी. आर. 112-पर निर्भर।

भारत और अन्य का संघ v. मेथु मेडा

1.3 पुलिस बल में शामिल होने की इच्छा रखने वाले प्रतिवादी को

अत्यधिक ईमानदारी वाला व्यक्ति बनें और त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा रखें। आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में उपयुक्त नहीं होगा। नियोक्ता को बरी होने की प्रकृति पर विचार करने या तब तक निर्णय लेने का अधिकार है जब तक कि वह पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं हो जाता है क्योंकि अपराधों के जीवन में उसके शामिल होने की संभावना भी पुलिस बल के अनुशासन के लिए खतरा है। अतः स्थायी आदेश ने इन मामलों में निर्णय लेने का कार्य जांच समिति को सौंपा है और

समिति अंतिम होगी जब तक कि दुर्भावना न हो। यदि कोई व्यक्ति बरी हो जाता है

उसे संदेह का लाभ देते हुए, नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के आरोप से या क्योंकि गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए, यह उसे स्वचालित रूप से नौकरी के लिए हकदार नहीं बनाएगा, वह भी अनुशासित बल में। नियोक्ता को जाँच समिति द्वारा जारी परिपत्रों के संदर्भ में अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने का अधिकार है। केवल कथित अपराधों का खुलासा और मुकदमे का परिणाम पर्याप्त नहीं है। उक्त स्थिति में, नियोक्ता को उम्मीदवार को नियुक्ति देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। एकल पीठ और उच्च न्यायालय की खंड पीठ दोनों ने विवादित आदेशों में उक्त कानूनी स्थिति पर विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका में और डिवीजन बेंच द्वारा रिट अपील में पारित किए गए विवादित आदेशों को खारिज कर दिया जाता है। [पारस 21-23] [669-F-G; 670-A-C]

अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 8

एससीसी 471: [2016] 7 एस. सी. आर. 445; पुलिस आयुक्त

बनाम राज कुमार 2021 (9) स्केल 713-पर भरोसा किया।

पुलिस आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य और

अन्य बनाम अभिजीत सिंह पवार (2018) 18 एससीसी 733:

[2018] 13 एस. सी. आर. 1133; राजस्थान राज्य और अन्य

बनाम सी. आई. एस. एफ. और एकः 178 (2011) डी. एल. टी. 263; पन्ना मेहता बनाम। एम. पी. राज्य (2002) 4 M.P.H.T. 226; रॉबर्ट

स्टुअर्ट वाउचोप बनाम सम्राट (1934) 61 आई. एल. आर. कैल। 168

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 11 एससीआर 174

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

[2021] 8 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2016] 7 एससीआर 445

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2013] 13 एससीआर 432

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2018] 13 एससीआर 1133

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[1964] एससीआर 431

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[1993] 3 पूरक। एससीआर 586

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

[2018] 1 एससीआर 112

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6238

2021

उच्च न्यायालय के 20.12.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की रिट अपील No.1090 में इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से।

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पार्थिव

गौस्वामी, आयुष पुरी, नचिकेता जोशी, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अविनाश शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. के. माहेश्वरी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. रिट अपील सं. में पारित आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए।

1090 2013 की रिट याचिका संख्या 3897 में 20.12.2013 पर पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए, इस अपील को प्राथमिकता दी गई है।

3. वर्तमान मामले में सामने आए तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी

आई. पी. सी. की धारा 347/327/323 506 (भाग 2) और 364 ए के तहत उनके खिलाफ बनाए गए आरोप के लिए 2010 के सत्र मामले की क्रम संख्या 1 में अदालत, झाबुआ, मध्य प्रदेश। सत्र न्यायालय ने उसे उक्त आरोप से बरी कर दिया क्योंकि शिकायतकर्ता, जिसका अपहरण कर लिया गया था, अदालत में मुकर गया था। इसके बाद, प्रतिवादी ने केंद्रीय में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया औद्योगिक सुरक्षा बल (संक्षेप में "सी. आई. एस. एफ".) और कर्मचारी चयन आयोग (संक्षेप में "एस. एस. सी".) के माध्यम से चुना गया। कॉन्स्टेबल/जी. डी. के पद पर अनंतिम चयन के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव भारत और अन्य संघ v था।

मेथु मेदा [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

समझौते के प्रपत्र में दी गई शर्तों के अधीन, 30.3.2012 पर प्रत्यर्थी को जारी किया गया। प्रत्यर्थी को प्रस्तुत करना आवश्यक था

स्थानीय स्टेशन हाउस अधिकारी से प्रमाणन प्रपत्र, चरित्र का प्रमाण पत्र, चरित्र और पूर्व प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज। द. प्रत्यर्थी, सत्यापन प्रपत्र जमा करते समय, उपरोक्त आपराधिक मामले के पंजीकरण और एक मुकदमे में आरोपों से बरी होने को निर्दिष्ट करता है

4. चूंकि नियुक्ति का प्रस्ताव सशर्त था, इसलिए सी. आई. एस. एफ. परिपत्र सं. ई-ईजी7023/TRG.SEC/ADM.I/सिरकुलर्स / 2010-1157 दिनांकित 31.03.2010। उन्हें प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। गृह मंत्रालय ने पत्र सं। आई-45020/6/2010-पर्स। II ने 01.02.2012 के मामलों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

अदालतें। 5. उक्त दिशा-निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए, प्रतिवादी के मामले को एक जानकारी के साथ ए. आई. जी. (एल. एंड आर.), सी. आई. एस. एफ. मुख्यालय, नई दिल्ली को भेजा गया था।

आई. जी./टी. एस., सी. आई. एस. एफ. (टी. एस.) एन. आई. एस. ए., हैदराबाद को पत्र No.F37023/सी. आई. एस. एफ./आर. टी. सी. (डी)/टी. आर. जी./सी. बी. जी./2012/2656 दिनांक 04.05.2012 के माध्यम से। स्थायी जाँच समिति ने 27.07.2012 पर बैठक की और प्रतिवादी सहित 89 उम्मीदवारों के मामलों की जाँच की और 15.10.2012 पर एक आदेश पारित किया कि प्रतिवादी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था।

6. उक्त कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाते हुए और परिणामी राहत के लिए 2013 की रिट याचिका संख्या 3897 पहले दायर की गई थी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 27.09.2013 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका को अनुमति दी जिसमें उत्तरदाताओं को 21.10.2013 से शुरू होने वाले प्रशिक्षण पर प्रतिवादी को यहां भेजने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने आगे कहा कि वह सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा

जिसमें वरिष्ठता, वेतन का काल्पनिक निर्धारण आदि शामिल थे, लेकिन पिछले वेतन से इनकार कर दिया गया था। उक्त आदेश पर डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर करके हमला किया गया था, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया था, जिसके कारण वर्तमान याचिका दायर की गई थी। विभाग के माध्यम से अपील करें।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश की वैधता पर, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क देते हुए हमला किया गया है, जब तक कि प्रतिवादी को संबंधित आरोप से सम्मानपूर्वक बरी नहीं कर दिया जाता है।

नैतिक अधमता और जाँच समिति के निर्णय को दुर्भावनापूर्ण तरीके से पारित नहीं किया जाता है, इस तरह के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। रिलायंस को पुलिस महानिरीक्षक और [2021] 8 एस. सी. आर. में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है।

एक अन्य बनाम एस. समुथिरम (2013) 1 एस. सी. सी. 598 'सम्मानजनक बरी' के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए।

8. यह तर्क दिया जाता है कि केवल अपराधी का खुलासा करना

30.03.2012 , भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया, लेकिन केवल संदेह का लाभ देते हुए बरी करना, क्योंकि गवाह मुकर गए हैं, उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं बनाएगा। द इम्पाग्ड मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 8 एस. सी. सी. 471, पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और एक अन्य बनाम मेहर सिंह (2013) 7 एस. सी. सी. 685, मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अभिजीत सिंह पवार (2018) 18 एस. सी. सी. 733, राजस्थान राज्य और अन्य बनाम लव कुश मीना 2021 (4) स्केल 634 और

पुलिस आयुक्त बनाम राज कुमार 2021 (9) स्केल 713। यह आग्रह किया जाता है कि आपराधिक मामले में बरी होना नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता के लिए निर्णायक नहीं है। इस प्रकार, जब तक प्रतिवादी को किसी आपराधिक मामले में सम्मानपूर्वक बरी नहीं किया जाता है, तब तक वह स्वतः ही पद पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ

मध्य प्रदेश ने राहुल यादव बनाम सी. आई. एस. एफ. और एक अन्य, 178 (2011) डी. एल. टी. 263 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर विचार किया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों की स्थिति और पृष्ठभूमि इसके लिए प्रासंगिक कारक थे।

विचार करें। केवल आपराधिक मामला दर्ज करने और उक्त आरोपों से बरी होने से वह नियुक्ति से अयोग्य नहीं होगा। उक्त निर्णय के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा 05.10.2012 पर खारिज कर दिया गया है। 'बरी' को परिभाषित करने के बिंदु पर, पन्ना मेहता बनाम में निर्णय। एम. पी. राज्य (2002) 4 M.P.H.T. 226 पर भरोसा किया गया है और आग्रह किया गया है कि यदि प्रतिवादी ने आपराधिक मामले, मुकदमे और उसके परिणाम के संबंध में प्रमाणन प्रपत्र में भौतिक तथ्य और निर्दिष्ट विवरण को नहीं छिपाया है, तो यह उसे पद पर नियुक्ति से वंचित नहीं करेगा, विशेष रूप से जब बॉम्बे उच्च न्यायालय में, समान रूप से स्थित व्यक्ति के मामले में रमेश को प्रशिक्षण पर भेजा गया है। यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश कानून के अनुरूप है।

पन्ना मेहता (ऊपर) में निर्णय, हालांकि, तथ्यों पर अलग है कि एक समान स्थिति वाले व्यक्ति को प्रशिक्षण पर भेजा गया था।

10. पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद, वर्तमान अपील में जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या निर्णय लिया गया है। जाँच समिति ने प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया, जब जाँच समिति के खिलाफ द्वेष का कोई आरोप नहीं था और प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ता को अन्य बातों के साथ-साथ फिरौती के लिए अपहरण के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाह मुकर गए थे, इसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए था।

11. प्रश्न को संबोधित करते समय, जैसा कि तर्क दिया गया है कि 'बरी' अभिव्यक्ति के अर्थ पर गौर करने की आवश्यकता है। 'सम्मानजनक बरी', 'दोषमुक्त' और 'पूरी तरह से बरी' शब्द दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं। यह न्यायिक घोषणाओं द्वारा विकसित किया गया है। असम राज्य और एक अन्य बनाम राघव राजगोपालाचारी, (1972) 7 एस. एल. आर. 44 के मामले में, यदि कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो पूर्ण वेतन और भत्ते की पात्रता के लिए असम मौलिक नियम (एफ. आर.) 54 (ए) के संदर्भ में 'सम्मानपूर्वक बरी' शब्द के प्रभाव पर विचार किया गया है। अदालत ने रॉबर्ट स्टुअर्ट वाउचोप बनाम सम्राट के फैसले को संदर्भित किया है।

(1934) 61 आई. एल. आर. कैल में। 168 , 'सम्मानपूर्वक बरी' अभिव्यक्ति के संदर्भ में, लॉर्ड विलियम्स, जे. ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" "सम्मानपूर्वक बरी" अभिव्यक्ति वह है जो न्याय की अदालतों के लिए अज्ञात है। जाहिरा तौर पर यह कोर्ट मार्शल और अन्य अतिरिक्त न्यायिक न्यायाधिकरणों में उपयोग किए जाने वाले आदेश का एक रूप है। हमने अपने निर्णय में कहा कि हम अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए था

सरकारी अधिकारियों और मजिस्ट्रेट द्वारा। इसके अलावा हमने निर्णय लिया कि अपीलार्थी ने आरोप में निर्दिष्ट धन का दुरुपयोग नहीं किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे निर्णय का प्रभाव यह था कि अपीलार्थी को पूरी तरह से और पूरी तरह से बरी कर दिया गया था ताकि उसे बरी किया जा सके। संभवतः, यह सरकारी अधिकारियों द्वारा "सम्मानपूर्वक" कहे जाने के बराबर है।

बरी कर दिया "।

12. आर. पी. कपूर बनाम के मामले में भारत संघ ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 787, यह वांचू, जे. द्वारा इस प्रकार मनाया और आयोजित किया जाता हैः

" यहां तक कि बरी होने के मामले में भी कार्यवाही हो सकती है जहां

बरी होना सम्मान के अलावा कुछ और है। "[2021] 8 एस. सी. आर.

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि बरी करने का निर्देश अदालत द्वारा तथ्यों और निष्कर्ष के साथ रिकॉर्ड पर भौतिक साक्ष्य पर विचार करने पर दिया जाता है।

मिथ्या निहितार्थ या यह निष्कर्ष कि अपराध साबित नहीं हुआ था, अभियुक्त के स्पष्टीकरण को न्यायसंगत मानते हुए, इसे सम्मानजनक बरी माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि अभियोजन पक्ष अपराध साबित नहीं कर सका अन्य कारणों से और न्यायालय द्वारा 'सम्मानपूर्वक' बरी नहीं किए जाने पर, इसे 'सम्माननीय' के अलावा अन्य माना जाएगा और कार्यवाही का पालन किया जा सकता है।

14. एस. समुथिरम (ऊपर) के मामले में 'सम्मानजनक बरी' अभिव्यक्ति पर विचार किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक बनाम भोपाल सिंह पांचाल (1994) 1 एससीसी 541, आर. पी. कपूर (ऊपर), राघव राजगोपालाचारी (ऊपर); इस न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराने और अनुशासनात्मक तरीके से की जाने वाली जांच के लिए सबूत का मानक आवश्यक है।

कार्यवाही पूरी तरह से अलग है। एक आपराधिक मामले में, अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर होती है, जब तक कि उचित संदेह से परे साबित न हो जाए। यदि अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ करने के लिए कदम उठाने में विफल रहा या गवाह मुकर गए, तो इस तरह का बरी होना संदेह का लाभ देने के दायरे में आएगा और आरोपी को आपराधिक अदालत द्वारा सम्मानपूर्वक बरी नहीं माना जा सकता है। जबकि, विभागीय कार्यवाही के मामले में, अपराध को प्रमुखता और संभावनाओं के आधार पर साबित किया जा सकता है, इस प्रकार यह देखा गया है कि संदेह का लाभ देते हुए बरी होने से स्वतः ही दोषियों की बहाली नहीं होगी।

उम्मीदवार जब तक कि नियम ऐसा प्रदान न करें।

15. हाल ही में, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य में यह न्यायालय। बनाम प्रदीप कुमार और अन्र। (2018) 1 एस. सी. सी. 797 ने एस. समुथिरम (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि आपराधिक मामले में बरी होना संबंधित पद पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्णायक नहीं है। यह देखा गया है कि किसी व्यक्ति को बरी करने या आरोपमुक्त करने का हमेशा यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वह गलत तरीके से शामिल था या उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उक्त मुद्दे पर मेहर सिंह (उपरोक्त) में आगे विचार किया गया है कि प्रमुख गवाहों से पूछताछ न करने से बरी होना सम्मानजनक बरी नहीं है, वास्तव में, यह संदेह का लाभ देकर किया गया है। अदालत ने कहा कि बरी होने की प्रकृति मूल के लिए आवश्यक है

विचार करें। यदि बरी होना सम्मानजनक नहीं है, तो उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं हैं और उनसे बचा जाना चाहिए। प्रासंगिक कारक और अपराध की प्रकृति, उसकी संलिप्तता की सीमा, भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति, जांच समिति द्वारा विचार करने के लिए प्रासंगिक पहलू हैं, जो इन सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

16. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी के खिलाफ आईपीसी की धारा 347/327/323/506 (भाग-II) और 364 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे। सत्र न्यायाधीश, झाबुआ द्वारा दिनांकित 19.03.2010 निर्णय के माध्यम से मुकदमे के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था क्योंकि वह व्यक्ति

अपहृत नीलेश और उसकी पत्नी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता को प्रतिवादी द्वारा पीटा गया था और उक्त तथ्य को डॉक्टर के साक्ष्य से समर्थन मिला। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि समिति का विचार था कि वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रतिवादी के बरी होने को 'सम्मानजनक बरी' नहीं कहा जा सकता है और उक्त बरी होने को संदेह का लाभ देकर माना जा सकता है।

17. के प्रभाव और परिणाम के संबंध में कानून

अवतार सिंह (ऊपर) के मामले में बरी करना, नियुक्तियों पर आपराधिक मामले को छिपाना आदि का निपटारा किया गया है, जिसमें

तीन-इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया: " 38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए

चर्चा करते हुए, हम अपने निष्कर्ष को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

" 38.1 एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले हो या बाद में, दोषी ठहराए जाने, बरी किए जाने या गिरफ्तारी, या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में, सही होनी चाहिए और आवश्यक का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।

जानकारी दी।

38.2 . गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ले सकता है

देने के दौरान मामले की विशेष परिस्थितियों की सूचना, यदि कोई हो

ऐसी जानकारी।

38.3 . नियोक्ता उस समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

निर्णय लेने के लिए।

38.4 . यदि दमन या गलत जानकारी है

एक आपराधिक मामले में संलिप्तता जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी थी और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है:

38.4. 1 . तुच्छ प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कि कम उम्र में या एक छोटे [2021] 8 एस. सी. आर. के लिए नारे लगाना।

अपराध जिसका यदि खुलासा किया जाता है, तो नियोक्ता अपने विवेकाधिकार में, तथ्य या गलत जानकारी के इस तरह के दमन को नजरअंदाज कर सकता है। लैप्स।

38.4. 2 जहां मामूली प्रकृति के मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है, नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है या उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

38.4. 3 यदि तकनीकी आधार पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में बरी होने का मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह निर्दोष बरी होने का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है। 38.5 . एक ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उसे नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है

38.7 . कई लंबित मामलों के संबंध में तथ्य को जानबूझकर दबाने के मामले में ऐसी गलत जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और एक नियोक्ता उचित आदेश पारित कर सकता है। जिन 4 व्यक्तियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, उनकी नियुक्ति के रूप में उम्मीदवारी को रद्द करना या सेवाओं को समाप्त करना उचित नहीं हो सकता है।

38.8 . यदि आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरने के समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकरण अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

38.9 . यदि कर्मचारी की सेवा में पुष्टि हो जाती है, तो आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा। दमन या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के आधार पर समाप्ति/निष्कासन या बर्खास्तगी।

38.10 . दमन या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। केवल ऐसे ही

जिन सूचनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था, उनका खुलासा किया जाना चाहिए। यदि माँगी गई लेकिन प्रासंगिक जानकारी नियोक्ता के ज्ञान में आती है, तो फिटनेस के सवाल को संबोधित करते समय वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में दमन या 5 गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

माँगा भी नहीं गया।

38.11 . इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दमनकारी सच्चाई या सुझाव देने वाले झूठ का दोषी ठहराया जाए, तथ्य का ज्ञान उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार,

पैरा 38.3,38.4। 3 और 38.5, यह स्पष्ट है कि नियोक्ता को सरकारी आदेशों के अनुसार उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार करने का अधिकार है / रोजगार में उम्मीदवार को शामिल करने का निर्णय लेते समय निर्देश/नियम। जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराधों के संबंध में तकनीकी आधार पर बरी होना, जो कि एक स्पष्ट बरी नहीं है, नियोक्ता को सभी उपलब्ध प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने का अधिकार हो सकता है -

पूर्ववृत्तियां, और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकते हैं। यहां तक कि यदि कर्मचारी द्वारा पूर्ण परीक्षण के संबंध में सच्ची घोषणा की गई है, तो भी नियोक्ता को पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है और उसे उम्मीदवार नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

19. यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर गौर करें, तो गृह विभाग के दिनांकित 1.02.2012 के निर्देश, जो उस समय प्रचलित थे

चयन और नियुक्ति निर्दिष्ट करती है कि ऐसे उम्मीदवार पर भर्ती के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण क्षेत्र कार्यालय, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 2/2010 दिनांक 31.03.2010 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार किसी आपराधिक मामले में शामिल पाया जाता है, चाहे वह अंतिम रूप दिया गया हो या लंबित हो, तो उम्मीदवार को मुख्यालय से आगे के निर्देशों के बिना शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुख्यालय से निर्देश लेने के बाद स्थायी समिति ने 15.10.2012 पर निर्णय लिया है।

कि संदेह का लाभ देते हुए बरी होने के कारण, प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता को सी. आई. एस. एफ. में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना गया था।

20. उपरोक्त तथ्य में, मेहर सिंह (उपरोक्त) के फैसले से पैराग्राफ 23,34,35 में आगे मार्गदर्शन लिया जा सकता है, इस अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

23. नीति के सावधानीपूर्वक अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जांच समिति नैतिक अधमता के गंभीर मामलों में शामिल व्यक्तियों को पुलिस बल से बाहर रखने की हकदार होगी, भले ही उन्हें बरी कर दिया जाए या छुट्टी दे दी जाए, अगर उसे लगता है कि बरी करना या आरोपमुक्त करना तकनीकी आधार पर है या सम्मानजनक नहीं है। जाँच समिति किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने के अपने अधिकार के भीतर होगी यदि वह पाती है कि बरी होना अभियोजन मामले के संचालन में किसी गंभीर दोष पर आधारित है या भौतिक गवाहों के प्रतिकूल होने का परिणाम है। जाँच समिति के केवल अनुभवी अधिकारी ही यह निर्णय ले सकेंगे कि क्या बरी किए गए या छुट्टी दिए गए उम्मीदवार के पुलिस बल में पद पर नियुक्त होने पर अधिक ताकत और जोश के साथ भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में लौटने की संभावना है। जाँच समिति को अपराध में ऐसे व्यक्ति की संलिप्तता की प्रकृति और सीमा पर विचार करना होगा और कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के बजाय उसे बिगड़ने का कारण बनने की उसकी प्रवृत्ति पर विचार करना होगा। हमारी राय में, दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई यह नीति किसी भी योग्यता के योग्य नहीं है।

इस न्यायालय का हस्तक्षेप इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि केवल त्रुटिहीन चरित्र वाले व्यक्ति ही पुलिस बल में प्रवेश करें।

34. उत्तरदाता इस तथ्य से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके आवेदन और/या सत्यापन प्रपत्र में उन्होंने एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया है। हम यह नहीं देखते कि यह तथ्य उनके मामले को कैसे सुधारता है। आवेदन/सत्यापन प्रपत्र में इन तथ्यों का खुलासा एक आवश्यक आवश्यकता है। एक आकांक्षी है इन तथ्यों को ईमानदारी से बताने की उम्मीद है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पुलिस बल की अंतर्निहित आवश्यकताएँ हैं। इसलिए, उत्तरदाताओं को इस प्रकटीकरण के कारण किसी भी ब्राउनी अंक प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, इस मुद्दे से इसका कोई लेना-देना नहीं है। यह दोहराया जाता है कि यह तय करते समय कि कोई व्यक्ति है या नहीं

जिनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और जिन्हें बाद में बरी कर दिया गया था या बरी कर दिया गया था, उन्हें पुलिस बल में किसी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, जो प्रासंगिक है वह है अपराध की प्रकृति, उसकी भागीदारी की सीमा, क्या बरी होना एक स्पष्ट बरी होना था या संदेह का लाभ देकर बरी होना क्योंकि गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए थे या अभियोजन में कुछ गंभीर दोष के कारण, और ऐसे व्यक्ति की भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होने की प्रवृत्ति। यह निर्णय, हमारी राय में, केवल दिल्ली पुलिस द्वारा उस उद्देश्य के लिए बनाई गई जाँच समिति द्वारा लिया जा सकता है। यदि जांच समिति का निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं है या बाहरी विचारों से प्रेरित नहीं है, तो इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

जिनकी इसकी विश्वसनीयता को कम करने की संभावना है, वे पुलिस बल में प्रवेश नहीं करते हैं। साथ ही, जाँच समिति को अपने ऊपर रखे गए विश्वास के महत्व के प्रति सचेत रहना चाहिए और सभी उम्मीदवारों के साथ व्यवहार करना चाहिए। समान हाथ से।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जो प्रतिवादी पुलिस बल में शामिल होना चाहता है, वह अत्यंत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए और

त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा। एक व्यक्ति जिसके पास एक अपराधी है पूर्ववर्ती इस श्रेणी में फिट नहीं होंगे। नियोक्ता है

बरी किए जाने की प्रकृति पर विचार करने या तब तक निर्णय लेने का अधिकार जब तक कि वह पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं हो जाता है क्योंकि उसके अपराधों में शामिल होने की संभावना भी पुलिस बल के अनुशासन के लिए खतरा है। इसलिए स्थायी आदेश ने इन मामलों में निर्णय लेने का काम जांच समिति को सौंपा है और समिति का निर्णय अंतिम होगा जब तक कि दुर्भावनापूर्ण न हो। प्रदीप कुमार (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने वही दृष्टिकोण अपनाया है, जैसा कि मेहर सिंह (ऊपर) के मामले में दोहराया गया है। इसी दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा फिर से दोहराया गया है।

राज कुमार (ऊपर) का मामला।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, कानून अच्छी तरह से स्थापित है। अगर कोई व्यक्ति

उसे संदेह का लाभ देते हुए, नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के आरोप से या गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने के कारण बरी कर दिया जाता है, यह उसे स्वचालित रूप से रोजगार के लिए हकदार नहीं बनाएगा, वह भी अनुशासित बल में। नियोक्ता को अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने का अधिकार है। जाँच समिति द्वारा जारी किए गए परिपत्र। केवल कथित अपराधों का खुलासा और मुकदमे का परिणाम पर्याप्त नहीं है। उक्त स्थिति में, नियोक्ता को उम्मीदवार को नियुक्ति देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। एकल पीठ और उच्च न्यायालय की खंड पीठ दोनों ने उक्त कानूनी स्थिति पर विचार नहीं किया है, जैसा कि ऊपर विवादित आदेशों में चर्चा की गई है। इसलिए, 2013 की रिट याचिका संख्या 3897 और 2013 की रिट अपील संख्या 1090 में डिवीजन बेंच में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं हैं, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है।

23. तदनुसार, इस अपील की अनुमति दी जाती है और विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे